वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2015-2016

भारत सरकार

Government of India

गृह मंत्रालय

Ministry Of Home Affairs

राजभाषा विभाग

Department of Official Language

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	राजभाषा विभाग की संरचना तथा कार्य	1-3
2.	वर्ष 2015-16 के दौरान उल्लेखनीय कार्यकलाप	4-10
3.	राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उपाय	11-14
4.	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो	15-19
5.	हिंदी शिक्षण योजना तथा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान	20-26
6.	इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयास	27-29
7.	प्रचार-प्रसार, प्रकाशन तथा साहित्य का वितरण	30-31
8.	केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा	32
9.	संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित कार्य	33-36
10.	डी.जी.सी.आर.की बकाया लेखा-परीक्षा आपत्तियों का विवरण (31.12.2015 तक)	37

अध्याय-1

राजभाषा विभाग की संरचना तथा कार्य

संघ के राजभाषा संबंधी सांविधानिक और कानूनी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में जून, 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी । उसी समय से यह विभाग संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयासरत है । भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार, राजभाषा विभाग को निम्न कार्य सौंपे गए हैं: -

1. संविधान में राजभाषा से संबंधित उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 की अधिनियम सं. 19) के उपबंधों का कार्यान्वयन, उन उपबंधों को छोड़कर जिनका कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को सौंपा गया है ।
2. किसी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन ।
3. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना और पत्र-पत्रिकाओं और उससे संबंधित अन्य साहित्य के प्रकाशन सहित संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए केंद्रीय उत्तरदायित्व ।
4. संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों में समन्वय, जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य विवरण, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर (मानकीकृत लिपि सहित) शामिल हैं ।
5. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग प्रबंधन ।
6. केंद्रीय हिंदी समिति से संबंधित मामले ।
7. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिंदी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय।
8. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले ।
9. हिंदी शिक्षण योजना सहित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित मामले ।
10. क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से संबंधित मामले ।
11. संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित मामले ।

राजभाषा विभाग का संगठनात्मक स्वरूप

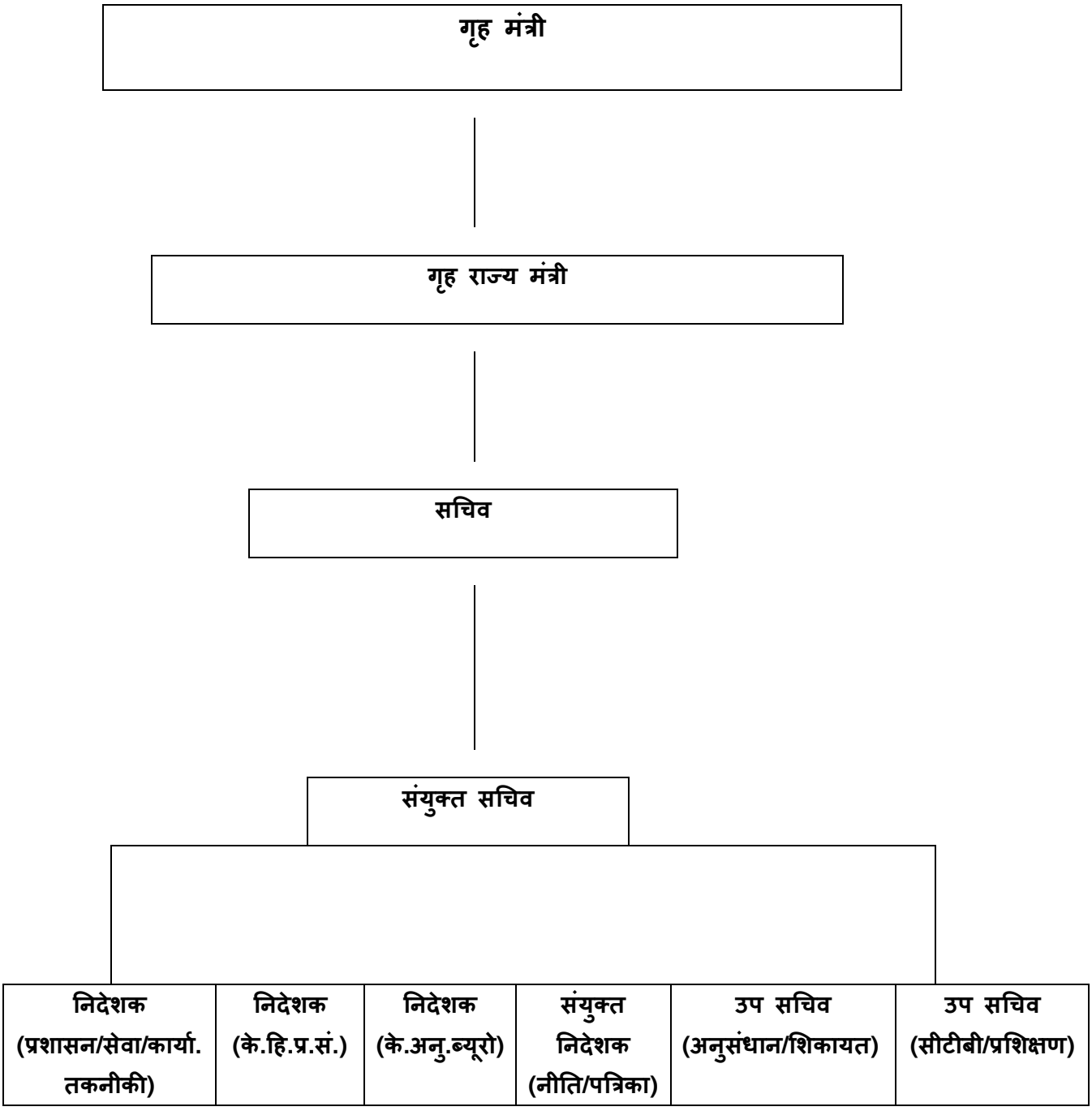

राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय

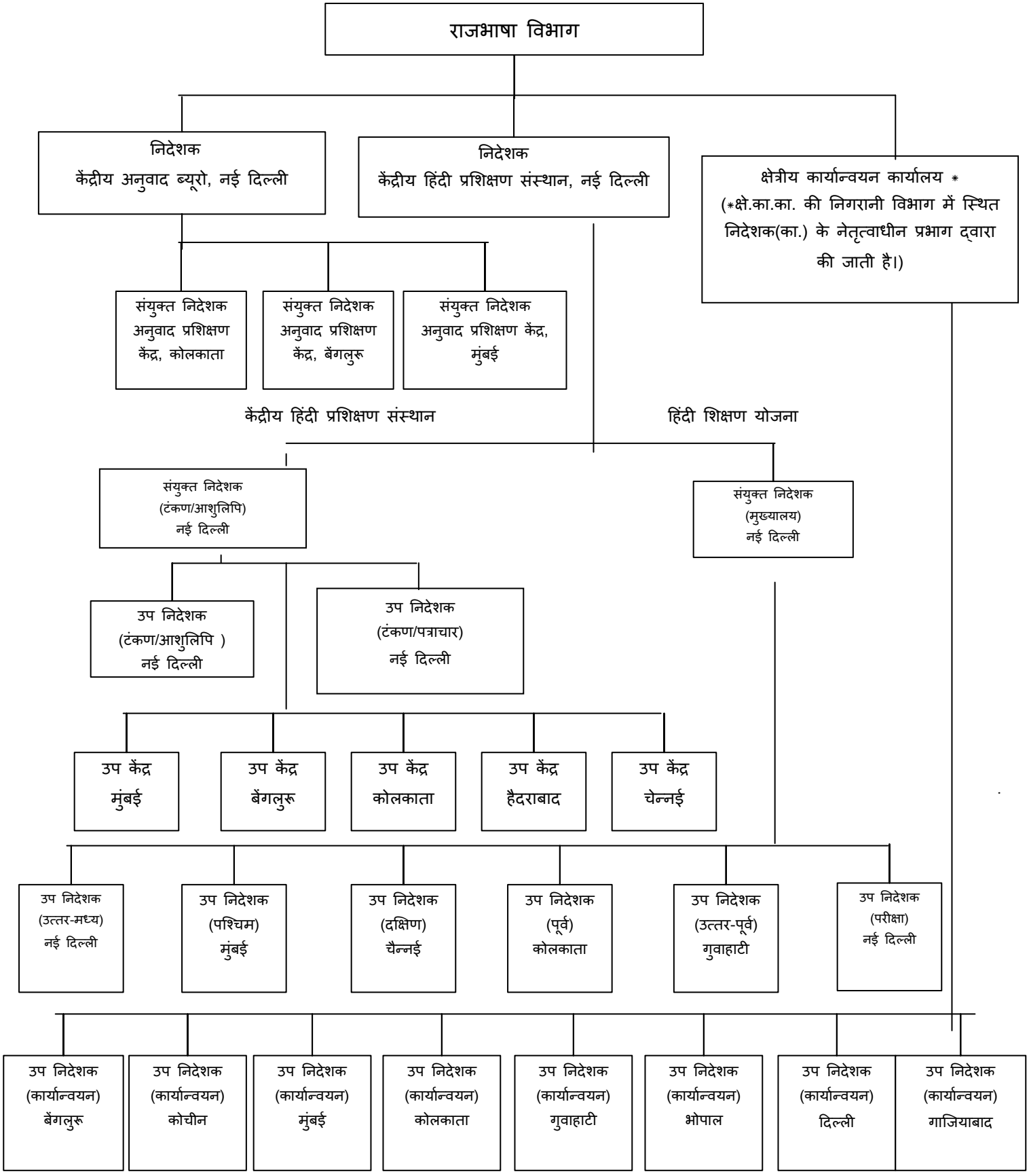

अध्याय-2

वर्ष 2015-16 के दौरान उल्लेखनीय कार्यकलाप

2.1 पारस्परिक संवादात्मक उपकरण प्रश्नोत्तरी और पहेली के साथ साहित्यिक उत्साहवर्धन

हिंदी साहित्य में जनसाधारण और लोक सेवकों की रूचि ब्ढ़ाने हेतु सुविख्यात हिंदी साहित्यकारों की 80 लघु कहानियां राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं । संघ की राजभाषा नीति के मूल सिद्धांतों के अनुरूप 'ऑनलाइन हिंदी पहेली' और 'ऑनलाईन हिंदी प्रश्नोत्तरी' को पारस्परिक वार्तालाप के उपकरण के रूप में आरंभ किया गया है । इसका उद्देश्य पाठकों की हिंदी शब्दावली को समृद्ध करना और देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो कि सभी प्रयोजनों हेतु हमारी मातृभूमि की एक संपर्क भाषा भी है, के प्रति अधिकाधिक रूचि बढ़ाना है । चयनित और प्रसिद्ध कहानियों की ऑडियो भी राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है ।

2.2 वार्षिक कार्यक्रम का प्रकाशन

हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के लिए वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए राजभाषा विभाग का वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया गया और इसे मुद्रित करवाकर सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में वितरित किया गया । साथ ही इस वार्षिक कार्यक्रम 2015-16 को राजभाषा विभाग की वेबसाइट **www.rajbhasha.gov.in** पर भी अपलोड किया गया ।

2.3 वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रकाशन

राजभाषा संकल्प, 1968 के प्रावधानों के अनुपालन में राजभाषा विभाग की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि में वार्षिक कार्यक्रम की विभिन्न मदों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में की गई प्रगति दर्शायी जाती है तथा इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है। लक्ष्यों की प्राप्ति में पाई गई कमियों में सुधार लाने के लिए कार्रवाई करने हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। वर्ष 2013-14 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गईं और इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया और इसके साथ ही इसे राजभाषा विभाग के पोर्टल पर भी अपलोड किया गया।

2.4 राजभाषा विभाग के डायरी एवं कलैंडर

वर्ष 2016 का राजभाषा वॉल कैलेंडर और राजभाषा डायरी का मुद्रण सीमित मात्रा में कराया गया और इसे राजभाषा विभाग द्वारा इसके अधीनस्थ कार्यालयों तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों आदि में वितरित किया गया ।

2.5 हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के सुचारु रूप से कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के माननीय मंत्रियों की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समितियां गठित हैं । इस वर्ष के दौरान (31 दिसम्बर, 2015 तक) हिंदी सलाहकार समिति की 20 बैठकें आयोजित की गईं ।

2.6 राजभाषा भारती का प्रकाशन

राजभाषा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका राजभाषा भारती केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्रिका है | इसका प्रकाशन वर्ष 1978 से किया जा रहा है तथा हर अंक की पांच हज़ार प्रतियाँ छपवाई जाती हैं । चार हज़ार से ज्यादा प्रतियाँ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा उपक्रमों आदि को भेजी जाती हैं । पत्रिका की शेष प्रतियां स्थानीय स्तर पर वितरित की जाती हैं । दिसम्बर, 2015 तक राजभाषा भारती के 145 अंकों का प्रकाशन किया जा चुका है ।

पत्रिका में राजभाषा/साहित्य/ज्ञान-विज्ञान पर स्तरीय तथा सरल हिंदी में लिखे गए ज्ञानप्रद लेख प्रकाशित किए जाते हैं | केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी के प्रचार-प्रसार संबंधी गतिविधियों को प्रमुखता से स्थान दिया जाता है | विभिन्न तकनीकी/वैज्ञानिक विषयों पर हिंदी में लेखन को बढ़ावा देने के नजरिए से पत्रिका में इस तरह के आलेखों को प्राथमिकता दी जाती है | इसके साथ ही विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों को भी पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है | समय-समय पर विशेषांक भी प्रकाशित किए जाते हैं |

2.7 गृह पत्रिका पुरस्कार योजना

वर्ष 2005-06 से केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली गृह पत्रिकाओं के लिए एक पुरस्कार योजना आरंभ की गई | इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत क, ख और ग क्षेत्रों के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों व बैंकों को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं |

वर्ष 2015-16 के लिए ये छह पुरस्कार हिंदी दिवस 14 सितम्बर, 2015 के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए | राजभाषा विभाग की ई-बुक को सी डी में बनवाया गया, जिसका विमोचन 18 फरवरी, 2015 को हुआ ।

2.8 पत्र-पत्रिकाओं में हिंदी में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों को पुरस्कार

राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों के लिए वर्ष 2012-13 से नई पुरस्कार योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत हिंदी भाषी प्रतिभागियों के लिए प्रथम पुरस्कार 20,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 18,000 रुपए तथा तृतीय पुरस्कार 15,000 रुपए के रूप में स्वीकृत है। हिंदीतर भाषी प्रतिभागियों के लिए यह राशि क्रमश: 25,000 रुपए, 22,000 रुपए तथा 20,000 रुपए है।

इस योजना में केंद्र सरकार के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक भाग ले सकते हैं । 14 सितंबर, 2015 को वर्ष 2014-15 में छपे लेखों के लिए इस योजना के अंतर्गत 3 पुरस्कार हिंदी भाषियों और 3 पुरस्कार हिंदीतर भाषियों को भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए गए।

2.9 केंद्र सरकार के कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे वार्षिक कार्यक्रमों में हिंदी पुस्तकों की खरीद संबंधी लक्ष्यों को पूरा कर सकें । इसके लिए प्रतिवर्ष स्तरीय पुस्तकों की एक सूची राजभाषा विभाग द्वारा तैयार करके जारी की जाती है । दिसम्बर, 2015 तक 45,600 पुस्तकों की सूची तैयार की जा चुकी है। यह सूचना विभाग के पोर्टल www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है ।

2.10 स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं की प्रदर्शनी

राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रकाशनों और पत्रिकाओं की प्रदर्शनी लगायी जाती है | पांच क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों में यह प्रदर्शनी 30 जनवरी, 2015 को भोपाल में, 18 फरवरी, 2015 को कोलकाता में, 27 मार्च, 2015 को मंगलूर में, 14 सितम्बर, 2015 को विज्ञान भवन दिल्ली में एवं 16 अक्तूबर, 2015 को अमृतसर में लगाई गई। इन प्रदर्शनियों को भारत सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ प्रतिष्ठित विद्वानों, साहित्यकारों, शोधकर्ताओं ने भी देखा और सराहा |

2.11 शुभकामना संदेश

विभाग द्वारा पूरे देश में फैले हुए केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, विभिन्न अकादमियों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा अपनी पत्रिकाओं/प्रकाशनों

तथा समारोहों के लिए माननीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, सचिव (राजभाषा) तथा संयुक्त सचिव (राजभाषा) की ओर से शुभकामना संदेशों के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं | इसके अतिरिक्त, विभिन्न पत्रिकाओं/प्रकाशनों/पुस्तकों पर प्रतिक्रिया देने के बारे में भी अनुरोध प्राप्त होते है । इस तथ्य के मद्देनजर कि ये संदेश राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, विभाग द्वारा प्राय: सभी अनुरोधों का समुचित उत्तर देते हुए उन्हें गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी, सचिव तथा संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग की ओर से संदेश आदि प्रेषित किए जाते हैं |

2.12 केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा उसके अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति मौजूद है । सचिव, राजभाषा विभाग इसके अध्यक्ष हैं तथा मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी का कार्य देख रहे प्रभारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर) इसके सदस्य हैं ।

2.13 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन

केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए देश के विभिन्न प्रमुख नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है । इस वर्ष 45 नई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है । अब इन समितियों की संख्या 433 हो गई है । इन समितियों की वर्ष में दो बार बैठकें होनी अपेक्षित हैं । इन बैठकों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में किए जाने वाले उपायों पर विचार किया जाता है । वर्ष 2015-16 के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के कार्यों की समीक्षा की गई व इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश दिए गए । राजभाषा विभाग ने वर्ष 2015-16 से नगर राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्ट ऑनलाइन प्रणाली से मंगवाना आरंभ किया है।

2.14 विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

सभी मंत्रालयों/विभागों तथा कार्यालयों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। इनकी बैठकें तीन महीने में एक बार आयोजित की जाती हैं । बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय किए जाते हैं। राजभाषा नीति और इसे कार्यान्वित करने के लिए किए गए उपायों तथा अद्यतन आदेशों की स्थिति की जानकारी देने के लिए इन बैठकों में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं । विभाग

में प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान (01.01.2015 से 31.12.2015 तक) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की 156 बैठकें हुईं ।

2.15 राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से लागू की गई है। इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, बोर्डों/संस्थाओं/स्वायत्त निकायों आदि, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और हिंदी गृह पत्रिकाओं को सरकार की राजभाषा नीति को बढ़ावा देने के कार्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए शील्डें प्रदान की जाती हैं ।

2.16 राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना

इस योजना का मूल उद्देश्य मौलिक रूप से हिंदी भाषा में लेखन को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में निम्नलिखित पुरस्कार शामिल हैं:-

(क) भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विजेता को निम्नलिखित पुरस्कार देने की व्यवस्था है:

प्रथम पुरस्कार (एक)	-2,00,000/- रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार (एक)	-1,25,000/- रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार (एक)	-75,000/- रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
प्रोत्साहन पुरस्कार (दस)	-10,000/- रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

(ख) केंद्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त कार्मिकों सहित) को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार :

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विजेता को निम्नलिखित पुरस्कार देने की व्यवस्था है :

प्रथम पुरस्कार	-	1,00,000/- रूपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार	-	75,000/- रूपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार	-	60,000/- रूपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
प्रोत्साहन पुरस्कार	-	30,000/- रूपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

(ग) केंद्र सरकार के कार्मिकों को (सेवानिवृत्त कार्मिकों सहित) हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार:

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 6 पुरस्कार दिए जाते हैं:-

	हिंदी भाषी	**हिंदीतर भाषी**
प्रथम-	20,000/- रुपये	25,000/-.रुपये
दितीय-	18,000/- रुपये	22,000/- रुपये
तृतीय-	15,000/- रुपये	20,000/- रुपये

2.17 क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन

राजभाषा सम्मेलनों के आयोजन से राजभाषा की प्रगति के संबंध में विचार-विमर्श हेतु एक औपचारिक मंच उपलब्ध होता है तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है । इन सम्मेलनों में केंद्र सरकार के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि को संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राजभाषा शील्डें भी प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसे चार सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं । इस वर्ष पहला क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 16 अक्तूबर, 2015 को अमृतसर में, दूसरा सम्मेलन 21 जनवरी, 2016 को रांची में, तीसरा सम्मेलन 09 फरवरी, 2016 को गोवा में तथा चौथा सम्मेलन 19 फरवरी, 2016 को कोच्चि में आयोजित किया गया ।

2.18 हिंदी दिवस 2015

14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंध पारित किए गए थे। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस वर्ष 14.09.2015 को हिंदी दिवस समारोह माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में विज्ञान भवन ऑडिटोरियम में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया । इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए**:-**

(क) हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु वर्ष 2013 के लिए 'इंदिरा गांधी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार' ।

(ख) वर्ष 2013 के लिए 'राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार' ।

(ग) वर्ष 2014 के लिए 'राजभाषा गौरव पुरस्कार' जिसमें निम्नलिखित पुरस्कार शामिल हैं**:-**

(I) केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार

(II) भारत के नागरिकों के लिए ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार

(III) उत्कृष्ट लेख पुरस्कार ।

(घ) वर्ष 2014-15 के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों,बोर्डों/स्वायत्त संस्थानों आदि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के लिए 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार'

(ङ) वर्ष 2014-15 के लिए मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रकाशित उत्कृष्ट गृह पत्रिकाओं को 'गृह पत्रिका कीर्ति पुरस्कार'

इस अवसर पर शील्ड/प्रमाण-पत्र/नगद राशि के रूप में कुल 95 पुरस्कार प्रदान किए गए ।

2.19 हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि व हिंदी टंकण में प्रशिक्षण

केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत इस वर्ष के दौरान (01 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक) केंद्र सरकार के लगभग 27632, 3661 और 327 कर्मचारियों को क्रमश: हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित किया गया ।

2.20 अनुवाद एवं अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

वर्ष के दौरान केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा वर्ष के दौरान (01 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015) तक केंद्र सरकार के कार्यालयों के लगभग 24820 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया गया। इसके अतिरिक्त राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए कुल 67 अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें कुल 1122 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

2.21 हिंदी में कंप्यूटर प्रशिक्षण

कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने के लिए समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वर्ष के दौरान (01 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015) कुल 93 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । राजभाषा विभाग द्वारा प्रायोजित ये प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सरकारी उपक्रमों तथा बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क हैं ।

2.22 कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण

दिनांक 24 अप्रैल, 2008 के संकल्प द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण पूरा करने के लिए समय-सीमा को दिसंबर, 2008 से बढ़ाकर दिसंबर, 2015 तथा आगे वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है ।

अध्याय-3

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उपाय

3.1 राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम

राजभाषा संकल्प, 1968 के अनुसार, केंद्र सरकार को हिंदी के प्रसार तथा विकास की गति बढ़ाने और संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए इसका प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए एक गहन और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने का दायित्व सौंपा गया था । इस संकल्प के अनुसरण में राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है । वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक कार्यक्रम को केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, उपक्रमों आदि में इस अपेक्षा के साथ परिचालित किया गया था कि वे वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में पूरा प्रयास करेंगे । वार्षिक कार्यक्रम को राजभाषा विभाग के पोर्टल **www.rajbhasha.gov.in** पर भी उपलब्ध करा दिया गया ।

3.2 राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार योजनाएं

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सद्भावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है । तदनुसार, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं । इनमें भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों व वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप वर्ष 2015-16 से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार एवं हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना शुरू की गई है ।

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित छह श्रेणियों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं:-

(क) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
(ग) भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
(घ) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
(ङ) भारत सरकार के बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी इत्यादि के लिए समेकित रूप से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
(च) हिंदी गृह पत्रिका के लिए कीर्ति पुरस्कार।

राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 3 श्रेणियों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैः-

1. केंद्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त कार्मिकों सहित) के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना ।
2. भारत के नागरिकों के लिए हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना ।
3. केंद्र सरकार के कार्मिकों को (सेवानिवृत्त कार्मिकों सहित) हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार ।

3.3 हिंदी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम संबंधी प्रावधानों तथा भारत सरकार के राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि से तिमाही प्रगति रिपोर्टें ऑनलाइन मंगाई जाती है । इन रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है और पाई गई कमियों की ओर संबंधित मंत्रालयों/विभागों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा संबंधित विभाग या मंत्रालय द्वारा स्वयं भी की जाती है ।

3.4 निर्धारित कागज-पत्रों को द्विभाषिक रूप में जारी किया जाना

राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा 3(3) में यह व्यवस्था है कि संघ के कुछ निर्धारित सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा । इस सांविधिक अपेक्षा के अनुपालन पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है । मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के अनुसार वर्ष के दौरान धारा 3(3) के अंतर्गत कुछ अपवादों को छोड़कर जारी किए जाने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए ।

3.5 निरीक्षण कार्य में प्रगति

केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी कार्यान्वयन की निगरानी का दायित्व नोडल विभाग होने के नाते राजभाषा विभाग को सौंपा गया है । यह दायित्व राजभाषा विभाग तथा इसके क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करके पूरा किया जाता है । वर्ष के दौरान (01 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक) विभाग के अधिकारियों द्वारा 1227 निरीक्षण किए गए।

3.6 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत हुई प्रगति

राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन बनाए गए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80% या उससे अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की व्यवस्था है । इस प्रावधान के अंतर्गत कार्यालयों को अधिसूचित करने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है । 31.12.2015 तक केंद्र सरकार के 33,647 कार्यालयों को इस नियम के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है ।

3.7 राजभाषा नियम, 1976 का नियम 8(4)

उन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के अनुभागों, जहां राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन पूरा कार्य हिन्दी में किया जाना है, को विनिर्दिष्ट किया जाना होता है। इस प्रयोजन के लिए भाषा क्षेत्र 'क', 'ख' और 'ग' के लिए क्रमश 40%, 30% और 20% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है | जहां अनुभागों की अवधारणा मौजूद नहीं है वहां हिंदीं में पूरा कार्य करने के लिए भाषा क्षेत्र 'क', 'ख' और 'ग' के लिए क्रमशः 40%, 25% और 20% कार्यक्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाना है | मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/बैंक/उपक्रम इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं ।

3.8 हिंदी में पत्राचार

01 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक मंत्रालयों/विभागों में हिंदी में प्राप्त कुल 2,41,495 पत्रों में से कुछ अपवादों को छोड़कर सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए । इस अवधि के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा हिंदी में भेजे गए पत्रों की संख्या 7,99,477 है । मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा विभाग को भेजी गई तिमाही प्रगति रिपोर्टों में जहां यह देखा गया कि हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, वहां संबंधित मंत्रालयों/विभागों को स्थिति में सुधार करने के लिए कहा गया है ।

3.9 शिकायतों का समाधान

लोक शिकायतों के निवारण के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग) के आदेशानुसार राजभाषा विभाग में शिकायत अनुभाग की स्थापना की गई है ।

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/स्वायत्त निकायों/ बैंकों आदि में संघ की राजभाषा नीति/अधिनियम आदि के उल्लंघन से संबंधित सरकारी/गैर सरकारी व्यक्तियों तथा संगठनों से प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए इस विभाग के संबंधित प्रभागों/

अनुभागों अथवा संबंधित मंत्रालय/विभाग को प्रेषित करके उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है | 01 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 के दौरान प्राप्त शिकायतों/प्रतिवेदनों/सुझावों की संख्या 1232 (एक हजार दो सौ बत्तीस) रही है|

3.10 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

शिकायत अनुभाग में इस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त एवं निपटाए गए आवेदनों का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है-

शिकायत अनुभाग- आवेदनों और अपीलों का ब्यौरा						
शीर्ष	01.01.2015 **तक लंबित आवेदन**	**धारा** 6(3) **के तहत अन्य लोक सूचना अधिकारी से हस्तांतरित होकर प्राप्त आवेदनों की संख्या**	**वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या (धारा** 6(3) **के तहत अन्य जन सूचना अधिकारी को हस्तांतरित मामलों सहित)**	**धारा** 6(3) **के तहत अन्य लोक सूचना अधिकारी को हस्तांतरित मामलों की संख्या**	**निर्णयों की संख्या जहां आवेदन/अपील स्वीकृत नहीं किए गए**	**निर्णयों की संख्या जहां आवेदन/अपील स्वीकृत किए गए**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
आवेदन	**00**	**26**	**86**	**00**	**00**	**65**
प्रथम अपील	**00**	**00**	**12**	**00**	**00**	**14**

अध्याय-4

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो

4.1 असांविधिक कार्य-विधि साहित्य का अनुवाद और अनुवाद प्रशिक्षण

केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों तथा उपक्रमों एवं बैंकों आदि के मैनुअलों, कोडों, फार्मो तथा अन्य विविध असांविधिक साहित्य के अनुवाद के लिए गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 01 मार्च, 1971 को की गई । तब से केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो लगातार यह कार्य कर रहा है । उपर्युक्त सामग्री के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा गठित सरकारिया आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, पांचवां वेतन आयोग, जैन जांच आयोग आदि विभिन्न आयोगों की रिपोर्टों का अनुवाद कार्य भी ब्यूरो को सौंपा गया । संसदीय राजभाषा समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार अब विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों को अपनी प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करनी है । इसलिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों की सामग्री भी ब्यूरो में अनुवाद के लिए प्राप्त हो रही है ।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार सहज, सरल और सुबोध भाषा में अनुवाद करने, अनुवाद की गुणवत्ता, शब्दावली की एकरूपता और परिशुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु एवं अनुवादकों को अनुवाद, वर्तनी, लिपि, व्याकरण, थिसारस तथा भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में पुरानी व नई-नई संकल्पनाओं से परिचित कराने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि के हिंदी अधिकारियों/हिंदी अनुवादकों तथा अनुवाद कार्य और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुवाद संबंधी विविध प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं और नियमित रूप से अनुवाद का अभ्यास कराया जाता है । ब्यूरो द्वारा इस प्रयोजन के लिए विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ।

4.2 नियमित स्थापना द्वारा अनुवाद कार्य

4.2.1 केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अपनी स्थापना की तारीख 01 मार्च, 1971 से 31 दिसंबर, 2015 तक 17,64,759 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया ।

4.2.2 गत वर्षों की ही तरह वर्ष 2015-2016 के लिए नियमित स्थापना द्वारा अनुवाद कार्य का लक्ष्य 41,600 मानक पृष्ठों का है। वर्ष, 2015 में 32,834 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया गया ।

4.3 अनुवाद क्षमता विस्तार योजना

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त सामग्री का अनुवाद करने की क्षमता सीमित है। परन्तु लगभग उतनी ही या उससे अधिक सामग्री अनुवाद के लिए प्रतिवर्ष एकत्र हो जाती है । अत: अनुवाद का बैक-लॉग हो जाता है । लंबित कार्य को यथा-शीघ्र निपटाने के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अप्रैल, 1989 से 'अनुवाद क्षमता विस्तार योजना' शुरू की गई| इसके अंतर्गत ब्यूरो से बाहर के अनुवादकों से भुगतान आधार पर अनुवाद करवाया जाता था। इस प्रकार इस योजना के प्रारंभ से लेकर जुलाई, 2014 तक 6,77,332 मानक पृष्ठों का अनुवाद कार्य पूरा किया गया है। अनुवाद सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण फा.सं. 13011/48/2014-रा.भा. (के.अनु.ब्यूरो) के दिनांक 28.07.2014 के आदेश के अनुसार 'अनुवाद क्षमता विस्तार योजना' बंद कर दी गई है।

इस प्रकार केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की 'नियमित स्थापना' तथा 'अनुवाद क्षमता विस्तार योजना' के अंतर्गत 31 दिसम्बर 2015 तक कुल 24,42,091 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया गया।

4.4 प्रशिक्षण कार्यक्रम

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो अनुवाद और अनुवाद प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार, राजभाषा विभाग की एक शीर्ष संस्था है। 01 जुलाई, 2014 से पूर्व, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुपालन में, ब्यूरो द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा निगमों आदि में कार्यरत अनुवादकों तथा अनुवाद कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था। दिनांक 01.07.2014 से पूर्व ब्यूरो द्वारा संचालित इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

4.4.1 त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम

संसदीय राजभाषा समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर सरकारी कार्यालयों में अनुवाद कार्य कर रहे अथवा उससे जुड़े कर्मचारियों के लिए वर्ष 1973 से अनिवार्य त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। प्रारम्भ में यह प्रशिक्षण केवल दिल्ली में प्रदान किया जाता था। लेकिन देश के विभिन्न अंचलों में स्थित सरकारी कार्यालयों की अनुवाद प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को देखते हुए यह प्रशिक्षण दिल्ली के अतिरिक्त मुंबई (1985), बेंगलूर (1985) और कोलकाता (1987) में भी दिया जाता था। प्रत्येक वर्ष केन्द्रों में तीन-तीन महीने के 4 सत्र आयोजित किए जाते थे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10,537 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित किए गए।
[का.ज्ञा.सं. 13017/12/1975-रा.भा.(ग)] दिनांक 05.05.1975)

4.4.2 21 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम

बैंकों व उपक्रमों के अनुरोध पर विशेष अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया । इस प्रशिक्षण की अवधि 21 कार्य-दिवस रखी गई थी। इस पाठ्यक्रम में बैंकों व उपक्रमों के अनुवाद-कार्य में लगे हुए या उससे जुड़े हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। यह कार्यक्रम 18.01.1988 से प्रारंभ किया गया और इसमें 956 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

4.4.3 अनुवाद का अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

अनुवाद प्रशिक्षण की उपयोगिता, आवश्यकता और अनिवार्यता तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उपक्रमों/बैंकों आदि में हिंदी का कार्य करने वालों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में काफी समय लगेगा। इसलिए इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि जब तक कर्मचारियों को 3 महीने के प्रशिक्षण का अवसर नहीं मिल पाता, तब तक उन्हें यह प्रशिक्षण दिया जाए। इसी उद्देश्य से एक संक्षिप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने की योजना बनाई गई। यह पाठ्यक्रम 5 कार्यदिवसों का था। यह कार्यक्रम 21.08.1985 से प्रारंभ किया गया और इसमें 12,982 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित किए गए।
[का.ज्ञा.सं. 13011/11/85-रा.भा.(ग) दिनांक 29.07.85]

4.4.4 उच्चस्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम

संसदीय राजभाषा समिति ने अनुवाद और पुनरीक्षण कार्य से जुड़े हिंदी अधिकारियों और उसके समकक्ष अथवा उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए भी अनुवाद प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया था। तदनुसार उनके लिए एक उच्चस्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की योजना बनाई गई। यह योजना 04.02.1991 से प्रारंभ की गई और इसमें 1,097 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।[का.ज्ञा.सं. 13017/6/87-रा.भा.(ग) दिनांक 16.11.87]

4.4.5 पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमः-

संसदीय राजभाषा समिति की सिफ़ारिश के अनुसरण में त्रैमासिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण की योजना बनाई गई थी। इसके अन्तर्गत अनुवाद के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धियों, विकास और तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाती थी। यह कार्यक्रम दिनांक 01.12.1997 से प्रारंभ किया गया था और इस कार्यक्रम में 1,108 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

4.5 पुनःडिजाइन अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिनांक 01.01.2015 से आरंभ)

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 03 सितंबर, 2014 के निर्देशानुसार दिनांक 01 जुलाई, 2015 से त्रिस्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (स्तर-1, स्तर-2 एवं स्तर-3) ब्यूरो मुख्यालय सहित मुंबई, बेंगलूरू और कोलकाता में आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

(क) स्तर-1 पांच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, निगमों स्वायत्त निकायों आदि में अनुवादक तथा हिंदी/अनुवाद कार्य से जुड़े अधिकारी/कर्मचारी सहित राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से जुड़े सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए है।

(ख) स्तर-2 पांच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, निगमों स्वायत्त निकायों आदि में अनुवादक तथा हिंदी/अनुवाद कार्य से जुड़े अधिकारी/कर्मचारी सहित राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से जुड़े उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने स्तर-1 अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

(ग) स्तर-3 पांच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमः-

यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, निगमों स्वायत्त निकायों आदि में अनुवादक तथा हिंदी/अनुवाद कार्य से जुड़े अधिकारी/कर्मचारी सहित राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से जुड़े उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने स्तर-1 एवं स्तर-2 का अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो। उक्त कार्यक्रमों में न्यूनतम 15 तथा अधिकतम 25 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। ये कार्यक्रम इनहाउस/आउटरीच आयोजित किए जा रहे हैं। इस स्तर में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद परीक्षा का प्रावधान है।

वर्ष 2015 के दौरान ब्यूरो मुख्यालय सहित मुंबई, कोलकाता तथा बेंगलूरू केंद्रों में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं :-

क्र.सं.	**केंद्र का नाम**	**स्तर-I / प्रशिक्षार्थी**	**स्तर-II / प्रशिक्षार्थी**	**स्तर-III / प्रशिक्षार्थी**	**कुल**
1.	नई दिल्ली	13/252	8/133	5/87	26/472
2.	मुंबई	12/251	9/126	3/37	24/414
3.	बेंगलूर	14/258	7/127	5/80	26/465
4.	कोलकाता	6/72	3/32	4/29	13/133
5.	**योग**	**45/833**	**27/418**	**17/233**	**89/1484**

इन त्रिस्तरीय कार्यक्रमों के संबंध में प्रशिक्षार्थियों द्वारा दिए गए फीडबैक में प्रशिक्षार्थियों ने इन कार्यक्रमों की अवधि को अपर्याप्त बताया है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों की समीक्षा पुनः की जा रही है।

अध्याय-5

हिंदी शिक्षण योजना तथा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

5.1 हिंदी शिक्षण योजना

राष्ट्रपति जी के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश के अनुसार, वर्ग "घ" श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी सीखना अनिवार्य है । इसके साथ-साथ ऐसे टंककों तथा आशुलिपिकों के लिए भी हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि सीखना अनिवार्य है, जिन्हें हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि नहीं आती । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदी शिक्षण योजना का गठन किया गया । इन कक्षाओं में नामांकित कर्मचारियों के लिए कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित रहना और परीक्षा में बैठना अनिवार्य है । केंद्रीय सरकार के स्वामित्व और नियंत्रणाधीन कंपनियों, निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए भी हिंदी का प्रशिक्षण अनिवार्य है ।

5.2 हिंदी सीखने के लिए सुविधाएं एवं प्रोत्साहन

हिंदी प्रशिक्षण पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अनेक प्रोत्साहन तथा नकद पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

सुविधाएं

1. सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता ।
2. पाठ्य-पुस्तकें नि:शुल्क दी जाती हैं ।
3. कक्षाएं कार्यालय समय में चलाई जाती हैं ।
4. कक्षाओं में आने-जाने के लिए मार्ग व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है ।
5. परीक्षाओं में बैठने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता/वास्तविक व्यय दिया जाता है ।
6. परीक्षाओं में प्राइवेट रूप से बैठने की भी छूट दी जाती है ।
7. प्रशिक्षण व परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अधिकारी/कर्मचारी को ड्यूटी पर माना जाता है ।
8. राजपत्रित अधिकारियों को भी हिंदी सिखाने के लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं ।
9. निर्धारित परीक्षा पास करने पर सेवापंजी में प्रविष्टियां की जाती हैं ।
10. नकद और एकमुश्त पुरस्कारों की राशि पर आयकर नहीं लगता ।

प्रोत्साहन

(क) वैयक्तिक वेतन (12 महीने के लिए - एक वेतन-वृद्धि के बराबर)

1. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्राज्ञ परीक्षा अंतिम परीक्षा है, उन्हें प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर ।
2. जिन कर्मचारियों के लिए प्रवीण या प्रबोध परीक्षा ही अंतिम परीक्षा है, उन्हें प्रवीण या प्रबोध परीक्षा 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर पास करने पर ।
3. जिन राजपत्रित अधिकारियों के लिए प्रवीण परीक्षा अंतिम परीक्षा है, उन्हें प्रवीण परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर पास करने पर ।
4. जहां हिंदी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केंद्र नहीं हैं, वहां के कर्मचारियों को स्वैच्छिक हिंदी संगठनों की मैट्रिक या उससे उच्च स्तर की मान्यता प्राप्त हिंदी परीक्षा पास करने पर ।

(ख) नकद पुरस्कार (विशेष योग्यता के साथ परीक्षा पास करने पर)

प्रबोध (रूपए में)	**प्रवीण (रूपए में)**	**प्राज्ञ (रूपए में)**	**नकद पुरस्कार के लिए पात्रता**
1600	1800	2400	70 प्रतिशत या अधिक अंक
800	1200	1600	60 प्रतिशत या अधिक अंक
400	600	800	55 प्रतिशत या अधिक अंक

(ग) एकमुश्त पुरस्कार (निजी प्रयत्नों से परीक्षा पास करने पर

उन कर्मचारियों को जो ऐसे स्थानों पर नियुक्त हैं, जहां हिंदी भाषा प्रशिक्षण संचालित नहीं हैं अथवा वे प्रचालन कर्मचारी हैं ।

प्रबोध	**प्रवीण**	**प्राज्ञ**
1600 रूपए	1500 रूपए	2400 रूपए

5.3 हिंदी टाइपलेखन और हिंदी आशुलिपि सीखने के लिए सुविधाएं और प्रोत्साहन सुविधाएं-

1. सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रशिक्षण और परीक्षा की कोई फीस नहीं ली जाती।
2. पाठ्य-पुस्तकें नि:शुल्क दी जाती हैं ।
3. कक्षाएं कार्यालय समय में चलाई जाती हैं ।
4. कक्षाओं में आने-जाने के लिए मार्ग व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है ।
5. परीक्षाओं में बैठने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता/वास्तविक व्यय दिया जाता है ।
6. परीक्षाओं में प्राइवेट रूप से बैठने की भी छूट दी जाती है ।
7. प्रशिक्षण व परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अधिकारी/कर्मचारी को ड्यूटी पर माना जाता है ।
8. मान्यता प्राप्त टाइपिंग एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों पर कार्यालय समय में प्रशिक्षण के लिए जाने की अनुमति दी जाती है ।
9. निर्धारित परीक्षा पास करने पर सेवापंजी में प्रविष्टियां की जाती हैं ।
10. नकद और एकमुश्त पुरस्कारों की राशि पर आयकर नहीं लगता ।

प्रोत्साहन

(क) वैयक्तिक वेतन (12 महीने के लिए - एक वेतन-वृद्धि के बराबर)

1. अराजपत्रित कर्मचारियों को हिंदी टाइपिंग/हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर ।
2. राजपत्रित आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि परीक्षा 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लेकर प्राप्त करने पर ।

टिप्पणी:- जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर पहले 12 महीनों के लिए दो वेतन-वृद्धियों और अगले 12 महीनों के लिए एक वेतन-वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है ।

(ख) नकद पुरस्कार (विशेष योग्यता के साथ परीक्षा पास करने पर)

राशि	हिंदी टाइपिंग	हिंदी आशुलिपि
2400 रुपये	97 प्रतिशत या अधिक अंक	95 प्रतिशत या अधिक अंक
1600 रुपये	95 प्रतिशत या अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक	92 प्रतिशत या अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम
800 रुपये	90 प्रतिशित या अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक	88 प्रतिशत या अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम

(ग) एकमुश्त पुरस्कार (निजी प्रयत्नों से परीक्षा पास करने पर)

उन कर्मचारियों को जो ऐसे स्थानों पर नियुक्त हैं, जहां हिंदी टाइपिंग/हिंदी आशुलिपि सिखाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं खोले गए हैं-

हिंदी टाइपिंग	-	1600 रूपये
हिंदी आशुलिपि	-	3000 रूपये

5.4 हिंदी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रम

योजना के अधीन निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं । प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ एवं पारंगत के प्रत्येक पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि 05 माह की होती है ।

1. प्रबोध - इसका स्तर प्राइमरी कक्षा की हिंदी के स्तर के बराबर है ।
2. प्रवीण - इसका स्तर मिडिल स्कूल की हिंदी के स्तर के बराबर है ।
3. प्राज्ञ - इसका स्तर हाई स्कूल की हिंदी के स्तर के बराबर है ।
4. पारंगत - इसका स्तर स्नातक स्तर की हिंदी के बराबर है।
5. हिंदी टंकण - 25 शब्द प्रति मिनट की गति । यह छह महीने का पाठ्यक्रम होता है ।
6. हिंदी आशुलिपि- 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति। यह एक वर्ष का पाठ्यक्रम होता है।

5.5 हिंदी प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था

क. हिंदी भाषा प्रशिक्षण केंद्र

केंद्र सरकार के हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत देश भर में पूर्णकालिक और अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिए प्राध्यापक नियुक्त किए गए हैं, जिनकी देख-रेख की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के स्थानीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाती है । इन अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने के लिए और योजना के सुचारू रूप से संचालन के लिए हिंदी शिक्षण योजना को पाँच क्षेत्रों में रखा गया है, जिनके क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में स्थित हैं । प्रत्येक क्षेत्र का प्रभारी उप निदेशक होता है, जो इस योजना का शैक्षिक, प्रशासनिक और संगठनात्मक काम देखता है । इस समय देश भर में हिंदी भाषा के 119 प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, जिनमें 116 पूर्णकालिक और 03 अंशकालिक हैं।

ख. हिंदी टंकण/आशुलिपि के प्रशिक्षण केंद्र

केंद्र सरकार के कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दृष्टि से हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है । इस समय देश में हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के 37 प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिनमें 24 पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र और 13 अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र हैं ।

5.6 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना दिनांक 31 अगस्त, 1985 को निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी:-

(1) केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, उद्यमों तथा बैंकों आदि में नए भर्ती होने वाले हिंदी न जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा तथा अंग्रेजी टाइप और अंग्रेजी आशुलिपि जानने वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी टाइप और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(2) प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को हिंदी पढ़ाने की नई तकनीक की जानकारी देने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना ।

(3) संघ सरकार के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए जो हिंदी का ज्ञान तो रखते हैं किंतु हिंदी में काम करने में कठिनाई महसूस करते हैं, पांच पूर्ण कार्य दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

5.6.1 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप-संस्थान

संस्थान के कार्यकलापों को गति देने और प्रशिक्षण क्षमता के विस्तार के लिए संस्थान के अंतर्गत मुंबई, कोलकाता, बेंगलूर, हैदराबाद और चेन्नै में 05 उप-संस्थान खोले गए हैं ।

वर्तमान में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप संस्थानों में हिंदी भाषा के 10 एवं हिंदी टंकण/आशुलिपि के 07 कुल 17 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं ।

इस प्रकार हिंदी शिक्षण योजना एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत देश भर में हिंदी भाषा के कुल 119+10=129 तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि के 37+07=44 तथा इस प्रकार कुल मिलाकर 129+44=173 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं ।

5.7 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण

वर्ष 2015-16 में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों के नामांकन, लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	**पाठ्यक्रम का नाम**	**वार्षिक लक्ष्य (01-04-2015 से 31-03-2016 तक)**	**उपलब्धि (31 दिसंबर 2015 की स्थिति के अनुसार)**
क.	**<u>हिंदी भाषा</u>**		
1.	हिंदी शिक्षण योजना (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत)	36480	21969
2.	गहन हिंदी प्रशिक्षण (प्रबोध, प्रवीण, एवं प्राज्ञ)	2700	1002
3.	भाषा पत्राचार (प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ)	4000	4124
	कुल	**43180**	**27095**

क्र.सं.	**पाठ्यक्रम का नाम**	**वार्षिक लक्ष्य (01-04-2015 से 31-03-2016 तक)**	**उपलब्धि (31-12-2015 की स्थिति के अनुसार)**
ख.	**<u>हिंदी टंकण</u>**		
1.	हिंदी शिक्षण योजना	2790	2033
2.	गहन टंकण	570	258
3.	टंकण पत्राचार पाठ्यक्रम	1000	1412
	कुल	**4360**	**3703**

ग.	**<u>हिंदी आशुलिपि</u>**		
1.	हिंदी शिक्षण योजना	1260	294
2.	गहन आशुलिपि प्रशिक्षण	150	28
	कुल	**1410**	**322**

5.7.1 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप संस्थानों में संचालित गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षार्थियों का विवरण

31.12.2015 तक चलाए गए पाठ्यक्रमों में शामिल हुए प्रशिक्षार्थियों का विवरण इस प्रकार है:-

क्रमांक	**पाठ्यक्रम का नाम**	**प्रतिभागियों की संख्या (01.01.2015 से 31.12.2015 तक)**
01.	25 पूर्णकार्य दिवसीय गहन प्रबोध पाठ्यक्रम	189
02.	20 पूर्णकार्य दिवसीय गहन प्रवीण पाठ्यक्रम	405
03.	15 पूर्णकार्य दिवसीय गहन प्राज्ञ पाठ्यक्रम	408
04.	टाइपिस्टों/लिपिकों के लिए 40 पूर्ण कार्य दिवसीय टाइपिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	258
05.	आशुलिपिकों के लिए 80 पूर्ण कार्य दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	28
06.	कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए 05 पूर्ण कार्य दिवसीय गहन हिंदी कार्यशाला	397
07.	अन्य अल्कालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	140

अध्याय-6

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयास

राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु केंद्र सरकार के कार्यालयों में देवनागरी लिपि में कार्य करने की सुविधा होना आवश्यक है । राजभाषा विभाग के अंतर्गत एक तकनीकी कक्ष इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है । वर्ष 2015 के दौरान तकनीकी कक्ष की प्रमुख गतिविधियां/उपलब्धियां निम्न प्रकार रहीं :-

6.1 कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था

कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए वर्ष 2015 के दौरान 100 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नई दिल्ली कोलकाता, बेंगलूरू, गुवाहाटी, चेन्नई मुंबई, चंडीगढ़, कोचीन, भुबनेश्वर, पुणे, विशाखापट्टणम, कानपुर, वडोदरा, जबलपुर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, कोयंबतूर तथा मैसूर में कराया गया । राजभाषा विभाग द्वारा प्रायोजित इन कार्यक्रमों में केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ सरकारी उपक्रमों तथा बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भी भाग लिया।

6.2 हिंदी प्रयोग में सहायक सॉफ़्टवेयरों का विकास

(क) कंप्यूटर की सहायता से अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद परियोजना-"मंत्रा-राजभाषा"

राजभाषा विभाग द्वारा सी-डेक, पुणे की सहायता से सरकारी कामकाज के विभिन्न कार्यक्षेत्रों (डोमेन्स) के दस्तावेज़ों के लिए कंप्यूटर साधित अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए विकसित किया गया "मंत्रा-राजभाषा सॉफ़्टवेयर" प्रयोग हेतु विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

(ख) लीला हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ पाठ्यक्रम इंटरनेट पर -"लीला-राजभाषा"

इस परियोजना के अंतर्गत हिंदी भाषा शिक्षण के लिए चलाए जा रहे प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रमों को स्वयं ऑनलाइन हिंदी सीखने के लिए राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है । कोई भी व्यक्ति राजभाषा विभाग की वेबसाइट से उपरोक्त पाठ्यक्रमों के अनुसार तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, अंग्रेजी, बंगला, असमिया, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, नेपाली, कश्मीरी, गुजराती एवं बोडो के माध्यम से नि:शुल्क हिंदी सीख सकता है ।

(ग) ई-महाशब्दकोश

ई-महाशब्दकोश एक ऑनलाइन द्विभाषी-द्विआयामी हिंदी-अंग्रेजी उच्चारण शब्दकोश है । इस शब्दकोश में मूल अर्थ, पर्यायवाची शब्द प्रयोग एवं शब्दों का विशिष्ट क्षेत्रों में प्रयोग भी दिया गया है । ई-महाशब्दकोश के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेजी शब्दों के लिए खोज सुविधा दी गई है । इस शब्दकोश का उद्देश्य शब्द का पूर्ण, सटीक, संक्षिप्त अर्थ और परिभाषा उपलब्ध कराना है । अब तक कुल 12 कार्यक्षेत्रों की शब्दावली के लिए ई-महाशब्दकोश उपलब्ध है ।

(ग) ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली

हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली का विकास कार्य करते हुए हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित करवाने की तकनीक का विकास किया गया और विभिन्न स्थानों के 8 केन्द्रों पर ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की गईं ।

(ड़) तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन मंगवाने हेतु एम.आई.एस.

राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि से हिंदी कार्यान्वयन के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट मंगवाई जाती है । इस रिपोर्ट को ऑनलाइन मंगवाने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा एम.आई.एस. सॉफ़्टवेयर का विकास करवाया गया है । इस सॉफ़्टवेयरों के द्वारा मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/बैंक आदि अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन राजभाषा विभाग में भेज सकते हैं । लगभग 7000 कार्यालय इसके माध्यम से अपनी रिपोर्टें भेजते हैं ।

6.3 लघु कहानियां, हिन्दी प्रश्नोत्तरी एवं शब्द पहेली

राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर 'ऑनलाइन हिंदी शब्द-पहेली', 'ऑनलाइन हिंदी प्रश्नोत्तरी' और महान साहित्यकारों की 80 लघु कहानियाँ उपलब्ध की गईं । सूचना प्रौद्योगिकी के मौजूदा दौर में इंटरनेट के माध्यम से हिंदी की तरफ़ लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए ये प्रतियोगिताएं शुरू की गईं । प्रेरणा और प्रोत्साहन की राजभाषा नीति के अनुसरण में इन ऑनलाइन हिंदी प्रतियोगिताओं के माध्यम से केंद्र सरकार के कार्मिकों का हिंदी शब्द-ज्ञान बढ़ेगा और विभाग की वेबसाइट पर उन्हें नियमित रूप से आकर्षित किया जा सकेगा जिससे राजभाषा हिंदी के प्रति उनकी रूचि और बढ़ेगी । साथ ही, आम नागरिकों और हिंदी प्रेमियों को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर श्रेष्ठतम कहानियाँ टेक्स्ट और ऑडियो रूप में उपलब्ध हैं जिनके पठन-पाठन से उनकी साहित्यिक अभिरुचि में वृद्धि होगी और उनकी भाषाई दक्षता में सुधार आएगा ।

6.4 तकनीकी सत्रों का आयोजन

क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों के अवसर पर 4 तकनीकी सत्रों का आयोजन अमृतसर, रांची, गोवा तथा कोच्चि में किया गया । इन सत्रों में कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने की तकनीकी जानकारी प्रतिभागियों को दी गई । इसके अतिरिक्त गूगल वॉयस टाइपिंग का प्रदर्शन भी किया गया ।

6.5 केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की वैबसाइट की जांच

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट की जांच द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में की गई । जांच में पाई गई हिंदी वैबसाइट की कमियों को सचिव स्तर पर पत्र के द्वारा अवगत कराया गया ।

6.6 राजभाषा विभाग की वेबसाइट

राजभाषा विभाग की वेबसाइट में विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियों के अतिरिक्त हिंदी सीखने के लिए लीला-प्रबोध,प्रवीण एवं प्राज्ञ, द्विभाषी एवं द्विआयामी ई-महाशब्दकोश, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए 'मंत्रा राजभाषा', हिंदी में कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का कैलेंडर, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की गतिविधियों की जानकारी, राजभाषा विभाग का वार्षिक कार्यक्रम, लघु कहानियां, हिन्दी प्रश्नोत्तरी एवं शब्द पहेली आदि सूचनाएं पोर्टल पर भी उपलब्ध करायी गई हैं । भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली आदि भी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं । राजभाषा विभाग वेबसाइट का पता है **www.rajbhasha.gov.in**।

राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी में व्यापक संवर्धन करते हुए वेबसाइट के प्रस्तुतीकरण को आकर्षक एवं अधिक उपयोगी बनाया गया है ।

अध्याय-7

प्रचार-प्रसार, प्रकाशन तथा साहित्य का वितरण

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, आदेशों की जानकारी देने के लिए राजभाषा विभाग विभिन्न प्रकाशन निकालता है। प्रकाशनों को सभी मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों और संस्थानों आदि में नि:शुल्क वितरित किया जाता है ।

7.1 त्रैमासिक पत्रिका-राजभाषा भारती

वर्ष 1978 से राजभाषा भारती नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है । इस पत्रिका के दिसम्बर, 2015 तक 145 अंक प्रकाशित किये जा चुके हैं । पत्रिका में राजभाषा/साहित्य/ज्ञान-विज्ञान पर स्तरीय तथा सरल हिंदी में लिखे गए ज्ञानप्रद लेख प्रकाशित किए जाते हैं । केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी के प्रचार-प्रसार संबंधी गतिविधियों को प्रमुखता से स्थान दिया जाता है । विभिन्न तकनीकी/वैज्ञानिक विषयों पर हिंदी में लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पत्रिका में इस तरह के आलेखों को प्राथमिकता दी जाती है । इसके साथ ही विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों को पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है । समय-समय पर विशेषांक भी प्रकाशित किए जाते हैं ।

7.2 हिंदी की स्तरीय पुस्तकों की सूची तैयार करना

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे वार्षिक कार्यक्रमों में हिंदी पुस्तकों की खरीद संबंधी लक्ष्यों को पूरा कर सकें । इसके लिए प्रतिवर्ष स्तरीय पुस्तकों की एक सूची राजभाषा विभाग द्वारा तैयार करके जारी की जाती है । दिसंबर, 2015 तक 45,600 पुस्तकों की सूची तैयार की जा चुकी है। पुस्तक की सूची विभाग की वेबसाइट **www.rajbhasha.gov.in** पर भी उपलब्ध है ।

7.3 वार्षिक कार्यक्रम

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प 1968 के प्रावधानों के अनुपालन में प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर वितरित किया जाता है, जिसमें भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/ उपक्रमों/बैंकों आदि में हिंदी में सरकारी कामकाज के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । वर्ष 2015-16 का वार्षिक कार्यक्रम सभी मंत्रालयों/विभागों आदि में वितरित किया गया। यह वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग के पोर्टल **www.rajbhasha.gov.in** पर भी उपलब्ध कराया गया।

7.4 वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट

राजभाषा संकल्प, 1968 के प्रावधानों के अनुपालन में वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि में वार्षिक कार्यक्रम की विभिन्न मदों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में की गई प्रगति दर्शायी जाती है तथा इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है। लक्ष्यों की प्राप्ति में पाई गई कमियों में सुधार लाने के लिए कार्रवाई करने हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । वर्ष 2013-14 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गईं और इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया और इसके साथ ही इसे राजभाषा विभाग के पोर्टल पर भी अपलोड किया गया ।

7.5 प्रचार सामग्री का वितरण

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों इत्यादि में हिंदी की उत्कृष्ट पुस्तकों की खरीद हेतु राजभाषा विभाग द्वारा चयनित पुस्तक सूची को राजभाषा विभाग के पोर्टल पर डाला गया । इसके साथ-साथ, पूरे देश में फैले हुए केंद्र सरकार के कार्यालयों को हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम पुस्तक, वार्षिक कार्यक्रम, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तथा राजभाषा भारती का वितरण किया गया ।

7.6 शुभकामना संदेश

विभाग द्वारा पूरे देश में फैले हुए केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, विभिन्न अकादमियों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा अपनी पत्रिकाओं/प्रकाशनों तथा समारोहों के लिए माननीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, सचिव (राजभाषा) तथा संयुक्त सचिव (राजभाषा) की ओर से शुभकामना संदेशों के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं | इसके अतिरिक्त, विभिन्न पत्रिकाओं/प्रकाशनों/पुस्तकों पर प्रतिक्रिया देने के बारे में भी अनुरोध प्राप्त होते है । चूँकि ये संदेश राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, विभाग द्वारा प्राय: सभी अनुरोधों का समुचित उत्तर देते हुए उन्हें गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी, सचिव तथा संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग की ओर से संदेश आदि प्रेषित किए जाते हैं |

7.7 वार्षिक रिपोर्ट

राजभाषा विभाग की वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई और इसकी प्रतियां लोक सभा और राज्य सभा कार्यालय में सौंपी गईं । इसके अलावा, इसे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में वितरित किया गया।

अध्याय-8

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा

8.1 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध कार्यालयों में सृजित हिंदी पदों को एकीकृत संवर्ग में लाने तथा उनके पदाधिकारियों को समान सेवा शर्तें, वेतनमान और पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन वर्ष 1981 में केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा वर्ष 1976 में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप किया गया था । राजभाषा विभाग इसका संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है । इस सेवा में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों के सभी हिंदी पद, कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी विभाग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग आदि को छोड़कर, शामिल हैं। वर्ष 2011 में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग की समीक्षा की गई | छठे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा की संवर्ग समीक्षा के बाद तथा कुछ अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा सृजित करवाए गए पदों को इस संवर्ग में शामिल किए जाने पर इन पदों की पुन:संरचना निम्नानुसार है-

क्र.सं.	**पदनाम**	**वेतनमान (रुपये)**	**पे-बैंड**	**ग्रेड-पे (रुपये)**	**पदों की वर्तमान सं.**
1	निदेशक (रा.भा.)	37400-67000	पीबी-4	8700/-	18
2	संयुक्त निदेशक (रा.भा.)	15600-39100	पीबी-3	7600/-	36
3	उप निदेशक (रा.भा.)	15600-39100	पीबी-3	6600/-	86
4	सहायक निदेशक (रा.भा.)	15600-39100	पीबी-3	5400/-	204
5	वरिष्ठ अनुवादक	9300-34800	पीबी-2	4600/-	321
6	कनिष्ठ अनुवादक	9300-34800	पीबी-2	4200/-	346
				कुल	**1011**

8.2. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में उपरोक्त ग्रेडों में 1011 पद हैं । दिल्ली से बाहर के 57 पदों को छोड़कर शेष पद दिल्ली स्थित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध कार्यालयों में हैं।

8.3. सेवा का पुनर्गठन हो जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों में हिंदी पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की सेवाकालीन पदोन्नति के अवसरों में सुधार हुआ है ।

8.4 सभी मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों और संगठनों आदि में कार्यरत हिंदी अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य संगठन के लिए अलग-अलग संवर्ग गठित करने पर बल दिया गया है ।

अध्याय-9

संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित कार्य

9.1 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 के लागू होने की तारीख (अर्थात 26 जनवरी, 1965) से 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनरावलोकन करने के लिए एक समिति (इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति जी की पूर्व स्वीकृति से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर) गठित की जाएगी। इस समिति में संसद के 30 सदस्य होने का प्रावधान है (20 लोकसभा से और 10 राज्य सभा से), जो क्रमश: लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तदनुसार, जनवरी, 1976 में ससंदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। बाद में वर्ष 1977, 1980, 1984, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 तथा 2014 के लोक सभा चुनावों के पश्चात समिति का पुनर्गठन हुआ। वर्तमान लोक सभा के गठन के पश्चात दिनांक 08.09.2014 को समिति का पुनर्गठन किया गया।

9.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(3) के अनुसार समिति को यह अधिदेश है कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनरावलोकन करें तथा उस पर सिफ़ारिशें करते हुए राष्ट्रपति जी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। राष्ट्रपति जी उस प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे तथा उसे सभी राज्य सरकारों को भेजा जाएगा। सभी राज्यों की राय पर विचार के बाद इन सिफ़ारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए जाते हैं।

9.3 समिति ने राष्ट्रपति जी को अपना प्रतिवेदन अलग-अलग खंडों में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था। अब तक प्रतिवेदन के नौ खंड प्रस्तुत किए गए हैं और इनमें से आठ खंडों पर राष्ट्रपति जी के आदेश जारी हो चुके हैं।

9.4 प्रतिवेदन का पहला खंड 20.1.1987 को राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया था। इसमें केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था, अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण, हिंदी में संदर्भ और सहायक साहित्य और शब्दावली निर्माण आदि विषयों पर सिफ़ारिशें की गई हैं। इसे 8.5.1987 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया। इसमें की गई सिफ़ारिशों पर राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के विचार जानने के लिए उन्हें परिचालित किया गया तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से भी इस संबंध में राय ली

गई। इस खंड की अधिकांश सिफ़ारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और उन पर राष्ट्रपति जी के आदेश दिसंबर, 1988 में जारी किए गए।

9.5 समिति के प्रतिवेदन का दूसरा खंड दिनांक 31.7.1987 को राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। इसमें सरकारी कामकाज के लिए यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता और उपयोगिता तथा इनमें देवनागरी लिपि की व्यवस्था, उन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की उपलब्धता एवं प्रशिक्षण तथा ऐसे उपकरणों के उत्पादन एवं संभरण व्यवस्था आदि के बारे में सिफ़ारिशें की गई हैं। इसे दिनांक 29.3.1988 को लोकसभा में तथा दिनांक 30.3.1988 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। राजभाषा अधिनियम, 1963 4(3) के उपबंधों के अंतर्गत प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिशों के बारे में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों की राय जानने के लिए इसकी प्रतियां उन्हें भेजी गईं। प्राप्त विचारों को ध्यान में रखते हुए अधिकांश सिफ़ारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधनों के साथ सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रतिवेदन पर राजभाषा विभाग के दिनांक 29.3.1990 के संकल्प द्वारा राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए गए।

9.6 प्रतिवेदन का तीसरा खंड फरवरी, 1989 में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। वह खंड केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के हिंदी शिक्षण तथा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा तत्संबंधी बातों के संबंध में है। यह खंड दिनांक 13.10.1989 को लोकसभा में तथा दिनांक 27.12.1989 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागो की राय प्राप्त करने के बाद सरकार द्वारा अधिकांश सिफ़ारिशों को मूल रूप में तथा कुछ सिफ़ारिशों को संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया तथा तदनुसार राष्ट्रपति जी के आदेश संबंधी संकल्प 4.11.1991 को जारी किया गया।

9.7 प्रतिवेदन का चौथा खंड समिति द्वारा नवंबर, 1989 में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। यह खंड देश के विभिन्न भागों में स्थित सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों आदि में हिंदी के प्रयोग की स्थिति से संबंधित है। इसे अगस्त, 1990 में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया और इसकी प्रतियां राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों एवं मंत्रालयों/विभागों को उनकी राय जानने के लिए भेजी गईं। उनसे प्राप्त विचारों के आधार पर अधिकांश सिफ़ारिशों को सरकार द्वारा मूल रूप में या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया तथा दिनांक 28.1.1992 को राष्ट्रपति जी के आदेश संबंधी संकल्प जारी किया गया।

9.8 प्रतिवेदन का पांचवा खंड मार्च, 1992 में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। यह विधायन की भाषा तथा विभिन्न न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। इसे दिनांक 9.3.1994 को लोकसभा में और दिनांक 17.3.1994 को राज्सभा में प्रस्तुत किया गया।

इसकी प्रतियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और मंत्रालयों/विभागों को उनकी राय जानने के लिए भेजी गईं। उनसे प्राप्त राय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त मत पर विचार करने के उपरांत समिति की अधिकांश सिफ़ारिशों को मूल रुप में या कुछ संशोधनों के साथ सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा इस पर दिनांक 24.11.1998 के संकल्प द्वारा राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए गए हैं।

9.9 समिति के प्रतिवेदन का छठा खंड दिनांक 27.11.1997 को राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। यह केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच और संघ तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परस्पर पत्र व्यवहार में उनकी राजभाषाओं के प्रयोग से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, इस खंड में विदेशों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के बारे में भी समीक्षा की गई है। इसे दिनांक 13.03.2001 को लोक सभा में और दिनांक 18.04.2001 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। इसकी प्रतियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और मंत्रालयों/विभागों को उनकी राय जानने के लिए भेजी गईं। उनसे प्राप्त विचारों के आधार पर अधिकांश सिफ़ारिशों को सरकार द्वारा मूल रूप में अथवा कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया है। इस खंड पर राष्ट्रपति जी के आदेश संबंधी संकल्प दिनांक 17.09.2004 को जारी किया गया।

9.10 समिति के प्रतिवेदन का सातवां खंड दिनांक 03.05.2002 को राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। यह खंड केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की वस्तुस्थिति, विभिन्न समितियों के कार्यकलाप, सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने, विधि संबंधी कार्यों में राजभाषा हिंदी की स्थिति, राजभाषा हिंदी के प्रयोग हेतु प्रचार-प्रसार, राज्यों में राजभाषा हिंदी की स्थिति, वैश्वीकरण, कम्प्यूटरीकरण आदि विषयों से संबंधित है। इसे दिनांक 03.12.2002 को लोकसभा में और 11.12.2002 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। इसकी प्रतियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और मंत्रालयों/विभागों को उनकी राय जानने के लिए भेजी गईं थीं। उनसे प्राप्त विचारों के आधार पर अधिकांश सिफ़ारिशों की सरकार द्वारा मूल रूप में अथवा कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इस खंड पर राष्ट्रपति जी के आदेश संबंधी संकल्प दिनांक 13.07.2005 को जारी किया गया।

9.11 समिति के प्रतिवेदन का आठवां खंड दिनांक 16.08.2005 को राष्ट्रपति जो को प्रस्तुत किया गया। यह खंड समिति द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3), राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5, हिंदी में पत्राचार, प्रकाशन, कोड-मैनुअल एवं प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुपालन की स्थिति का मंत्रालयवार/क्षेत्रवार मूल्यांकन, केन्द्र सरकार के कार्यालयों में पुस्तकों की खरीद, कम्प्यूटरीकरण और हिंदी, भर्ती नियमों में हिंदी ज्ञान की अनिवार्यता, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम की उपलब्धता, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय तथा सार्वजनिक उपक्रमों के वाणिज्यिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग आदि से संबंधित है । इसे लोक सभा के पटल पर 15.05.2007

तथा राज्य सभा के पटल पर 16.05.2007 को रखा गया। इसकी प्रतियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और मंत्रालयों/विभागों को उनकी राय जानने के लिए भेजी गईं थीं । उनसे प्राप्त विचारों के आधार पर अधिकांश सिफ़ारिशों को सरकार द्वारा मूल रूप में अथवा कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश 02.07.2008 को जारी किए गए।

9.12 समिति के प्रतिवेदन का नौवां खंड दिनांक 01.06.2011 को राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। यह खंड समिति द्वारा नगर राजभाषा समितियों की सार्थकता में विद्यमान अवरोध एवं इनके बेहतर कार्यान्वयन के लिए दिए गए सुझाव, राजभाषा हिंदी के प्रयोग, प्रशिक्षण तथा अनुवाद आदि में कम्प्यूटरों की नई तकनीकी की उपलब्धता एवं भूमिका, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा के क्षेत्रों में हिंदी की स्थिति, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी के ज्ञान की अनिवार्यता, केंद्र सरकार द्वारा जारी विज्ञापनों में हिंदी भाषा के प्रयोग की विशेषताएं, हिंदी पुस्तकों का क्रय तथा हिंदी गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य, समिति द्वारा आयोजित मौखिक साक्ष्यों के दौरान प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा आदि से संबंधित है। इस खंड में की गई समिति की संस्तुतियों पर राष्ट्रपति जी के आदेश जारी होने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

अध्याय-10

डी.जी.सी.आर.की बकाया लेखा-परीक्षा आपत्तियों का विवरण (31.12.2015 तक)

क्र.सं.	विभाग	लेखा परीक्षा आपत्तियां
1.	राजभाषा विभाग (मुख्यालय)	07
2.	हिंदी शिक्षण योजना (पूर्व), कोलकाता	03
3.	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली	09
4.	उप निदेशक (मध्योत्तर), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली	00
5.	उप निदेशक (दक्षिण), हिंदी शिक्षण योजना, चेन्नई	01
6.	हिंदी शिक्षण योजना (उत्तर पूर्व), गुवाहाटी	00
7.	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली	09
8.	अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र, बेंगलुरू	04
9.	संसदीय राजभाषा समिति	03
10.	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय	09
	कुल	**45**